

<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.114/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कातामिल में जारी हुए</p>
<p>26.7.2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी मोतीराम देवासी पुत्र लाखा जी देवासी, निवासी- उन्दरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री मां काली किराणा स्टोर, उन्दरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही उपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.6.2023 को फर्म श्री मां काली किराणा स्टोर, उन्दरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही में प्रतिवादी मोतीराम देवासी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (किसान ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1989 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./148/Act/2023/191 दिनांक 11.2.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी आज नियत सुनवाई तिथि 26.7.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में ऐसी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही द्वारा दिनांक 23.1.2023 को फर्म श्री मां काली किराणा स्टोर, उन्दरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही में प्रतिवादी मोतीराम देवासी पुत्र लाखा जी देवासी, निवासी- उन्दरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही से दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (किशन ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पकेटों (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (किशन ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1989 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./148/Act/ 2023/191 दिनांक 11.2.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मोतीराम देवासी ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (किशन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा</p> <p>.....लगाता</p>	



ज.स. वि.स. बजट
सिरौही-307801.



तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.114/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए
	<p>2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (किशन ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी मोतीराम देवासी पुत्र लाखा जी देवासी, निवासी- उन्दरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री. मां काली किराणा स्टोर, उन्दरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही पर राशि रुपये 3,000/- (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी मोतीराम देवासी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 29.8.2023 को पेश हो।</p>	



d
 (के.आर. खौड़)
 ज.सि. वि.स. मजिस्ट्रेट
 सिरौही-307001.